

कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2018

अधिसूचना सं०. 41 /2018-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 14 मई, 2018

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2013, जिसे सा. का. नि. 395(अ), दिनांक 21 जून, 2013 के तहत प्रकाशित किया गया था, के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी अथवा न की गयी बातों को छोड़कर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ और अनुप्रयोग—

- (1) इन विनियमों को कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2018 कहा जायेगा.
- (2) ये विनियम सरकारी राज-पत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे.
- (3) ये विनियम उन कस्टम्स ब्रोकर्स पर लागू होगा जिनको लाइसेन्स जारी किया जा चुका है या उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिनको लाइसेन्सशुदा कस्टम्स ब्रोकर्स ने इस विनियम, या कस्टम्स हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 1984 या कस्टम्स हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2004 या कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2013 के अंतर्गत सेवायोजित या नियुक्त किया हो.
- (4) इन विनियमों के अंतर्गत दिए गए या नवीकृत किए गए प्रत्येक लाइसेन्स के बारे में यह माना जायेगा कि ये लाइसेन्स लाइसेन्सी के पक्ष में जारी या नवीकृत किए गए हैं, और किसी भी लाइसेन्स को न तो बेचा जा सकेगा अथवा न ही किसी अन्य प्रकार से इसको अंतरित ही किया जा सकेगा।

2. परिभाषायें.—(1) इन विनियमों में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “आधार संख्या” से अभिप्राय ‘दि आधार (टार्गेटेड डिलिवरी ऑफ फाइनेन्सियल एंड अदर सबसीडीज़, बेनेफिट्स एंड सर्विसेज) एक्ट, 2016 (2016 का 18) की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत किसी व्यक्ति को जारी की गई आधार संख्या से है;

(ख) "अधिनियम" से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है ;

(ग) "कम्पनी" से अभिप्राय कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथा परिभाषित कम्पनी से है;

(घ) " कस्टम्स ब्रोकर" से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे इन विनियमों के अंतर्गत किसी कस्टम्स स्टेशन पर वाहनों के आगमन या प्रस्थान या माल के आयात या निर्यात से संबंधित किसी कारोबार के

प्रयोजनार्थ किसी आयातकर्ता या निर्यातकर्ता की ओर से एजेंट के रूप में कार्य करने का लाइसेन्स प्राप्त हो। इसमें लेखा-परीक्षा भी आता है;

- (ड) "फर्म", "फर्म नाम", "भागीदार" और "भागीदारी" का अर्थ वही होगा जो अर्थ क्रमशः इनके लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9)में दिया गया हो लेकिन "भागीदार" की अभिव्यक्ति में ऐसा भी व्यक्ति आता है जो अवयस्क होने के नाते भागीदारी के लाभ के लिए शामिल किया गया हो;
- (च) "फार्म" से अभिप्राय इस विनियम में परिशिष्ट के रूप में दिये गए फार्मों से है;
- (छ) "एफ कार्ड होल्डर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जिसे 'फार्म-एफ' में फोटो पहचान-पत्र जारी किया जा चुका है;
- (ज) "जी-कार्ड होल्डर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने विनियम 13 में संदर्भित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जिसे 'फार्म-जी' में फोटो पहचान-पत्र जारी किया जा चुका है;
- (झ) "एच-कार्ड होल्डर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने विनियम 13 में संदर्भित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जिसे 'फार्म-एच' में फोटो पहचान-पत्र जारी किया जा चुका है;
- (ञ) "पैन" से अभिप्राय आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 139 क के अंतर्गत जारी किए गए स्थायी खाता संख्या से है;
- (ट) "धारा"से अभिप्राय अधिनियम की धारा से है।

(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिनका यहाँ तो प्रयोग हुआ है लेकिन ये इस विनियम में परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो इनके लिए उक्त अधिनियम में क्रमशः दिया गया है।

3. कस्टम्स ब्रोकर को लाइसेन्स प्राप्त करना है— कोई भी व्यक्ति किसी भी कस्टम्स स्टेशन पर किसी वाहन के आगमन या प्रस्थान या माल के आयात या निर्यात से संबन्धित जिसमें लेखा-परीक्षा का भी काम आता है, कस्टम्स ब्रोकर के रूप में अपना व्यवसाय नहीं चला सकता है जब तक कि ऐसे व्यक्ति के पास इस विनियम के अंतर्गत जारी लाइसेन्स न हो:

बशर्ते कि इन विनियम के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए किसी लाइसेन्स की जरूरत नहीं-

- (क) ऐसा कोई आयातकर्ता या निर्यातकर्ता जो किसी कस्टम्स स्टेशन से एकल रूप से अपने किसी भी कोई संव्यवहार करता हो;
- (ख) किसी व्यक्ति या फर्म का कोई भी कर्मचारी जो कि सामान्यतया ऐसी फर्म या व्यक्ति या फर्म की ओर से संव्यवहार करता है और उप-आयुक्त सीमाशुल्क, या सहायक आयुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा जारी किया गया पहचान-पत्र या अस्थाई पास धारण करता हो; तथा

(ग) एक या एक से अधिक जहाजों या विमान के लिए इस प्रकार के जहाज़ या विमान के एकमात्र में प्रवेश या निकासी के लिये, इस प्रकार के एजेंट के अपने कार्य के प्रयोग के लिये एक एजेंट को नियोजित किया हो।

4. **आवेदन के लिए आमंत्रण**— (1) कार्य प्रबंधन महानिदेशालय (DGPM) प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में वेब पोर्टल पर प्रसारण के अलावा अँग्रेजी और हिन्दी के दो प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से परीक्षा और फिर उसके बाद कस्टम्स ब्रोकर के रूप में काम करने के लाइसेन्स जारी के लिए फार्म क में आवेदन आमंत्रित करेगा।

(2) किसी कस्टम्स स्टेशन पर कस्टम्स ब्रोकर के रूप में काम करने के लिए उस प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, जिसके अधिकार-क्षेत्र में वह क्षेत्र आता हो जहां कि कोई आवेदक अपना कारोबार करना चाहता है, के पास पाँच सौ रूपये के शुल्क के साथ फार्म-क में लाइसेन्स के लिए आवेदन किया जा सकता है।

5. **आवेदक के द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें**.—(1) किसी भी आवेदक को किसी कस्टम्स स्टेशन पर कस्टम्स ब्रोकर के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क के पास आवेदन कराते समय निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी: —

(क) वह भारत का नागरिक हो;

(ख) वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति हो उसे;

(ग) उसे किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न घोषित किया गया हो;

(घ) उसका एक आधार नंबर होना चाहिये ;

(ङ) उसके पास वैध पैन कार्ड होना चाहिये;

(च) उसे इस अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), वित्त अधिनियम, 1994(1994 का 32), केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का12), और एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दंडित न किया गया हो;

(छ) न तो उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध करार दिया गया हो और न ही किसी विधि न्यायालय में उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई विचाराधीन हो;

(ज) कोई वैयक्तिक आवेदक या यदि कोई आवेदक कोई फर्म है तो उस मामले में उसका भागीदार, उसका निदेशक या कोई प्राधिकृत कर्मचारी, जो कि सीमाशुल्क से संबन्धित काम-काज को देखता है, उस आवेदक

(अ) को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिये; और

(आ) के पास भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या विश्वविद्यालय की व्यावसायिक डिग्री जैसे कि एकाउंटिंग, फाइनेंस या मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष, सीए/सीएस/एमबीए/एलएलएम/एसीएमए/एफसीएमए या कस्टम्स क्लियरेन्स वर्क में डिप्लोमा हो या जी-कार्ड होल्डर के रूप में कस्टम्स ब्रोकर के काम का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो ;

(इ) किसी अनुसूचित बैंक के द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र या अन्य कोई प्रमाण, जो कि प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क , जैसी भी स्थिति हो, को स्वीकार्य हो, से यह प्रकट हो कि उसके पास कम से कम पाँच लाख रूपए की परिसंपत्ति है, जिससे उसकी वित्तीय व्यवहार्यता सिद्ध हो।

(2) भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क) का कोई सेवानिवृत्त समूह क अधिकारी, जिसकि समूह 'क' के पद पर कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव हे ,वह भी कस्टम्स ब्रोकर के रूप में काम करने के लिए लाइसेन्स हेतु आवेदन करने का योग्य होगा बशर्ते कि वह उपर्युक्त उप विनियम (1) के (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) तथा (झ) में निर्धारित शर्तें पूरी करता है ।

(3) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, इस विनियम के प्रयोजन के लिए आवेदन को कार्य निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट) के पास अग्रसारित करने से पहले आवेदक की पात्रता का सत्यापन कराएगा।

6. आवेदक की परीक्षा —(1) जो आवेदक विनियम 5 की अपेक्षाओं को पूरा करता हो, उसको कार्य निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट) के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली लिखित परीक्षा के साथ-साथ मौखिक परीक्षा (विशेष कर ऑन लाइन)भी देनी होगी:

बशर्ते कि यदि किसी आवेदक ने कस्टम्स हाउस एजेन्ट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन, 1984 के विनियम 9 और कस्टम्स हाउस एजेन्ट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन, 2004 के विनियम 8 या कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन, 2013 के विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा पहले ही पास कर ली हो तो उसे आगे ऐसी अन्य किसी भी परीक्षा को देने की जरूरत नहीं है।

(2) लिखित परीक्षा प्रत्येक वर्ष जनवरी माह की विनिर्दिष्ट तारीख को हुआ करेगी जिसके लिये आवेदक को परीक्षा की तारीख से पूर्व व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया जाएगा और उक्त परीक्षा का परिणाम प्रत्येक वर्ष के मई महीने के अंत तक घोषित कर दिया जाएगा।

(3) उक्त परीक्षा में जो भी आवेदक सफल घोषित होगा उसे प्रत्येक वर्ष के जून माह की निर्धारित तारीख को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा, जिसका परिणाम प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह में घोषित किया जाएगा।

(4) आवेदक को लिखित परीक्षा और तत्संबंधी मौखिक परीक्षा, दोनों को ही पास करना जरूरी होगा।

(5) लिखित परीक्षा में बैठने के किसी भी प्रयास को एक प्रयास माना जाएगा और किसी आवेदन को अयोग्य/रद्द कर दिये जाने के बावजूद भी, यदि आवेदक परीक्षा में बैठ गया है तो इस प्रकार परीक्षा में बैठने को एक प्रयास माना जाएगा।

(6) आवेदक को इस परीक्षा को पास करने के लिए अधिकतम छः प्रयासों की अनुमति होगी।

(7) इस परीक्षा में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न होंगे:

(क) विभिन्न प्रकार के आगम-पत्रों, निर्यात बिलों, शिपिंग बिलों और क्लियरेंस संबंधी अन्य कागजातों को तैयार करना;

(ख) जहाजों के आगमन की प्रविष्टि और उनका क्लियरेंस;

(ग) टैरिफ़ वर्गीकरण और शुल्क की दर;

(घ) आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण;

(ङ) मुद्रा का विनिमय;

(च) कागजातों की प्रकृति और विवरण जिन्हें विभिन्न प्रकार के आगम पत्रों, शिपिंग बिल्स और अन्य क्लियरेंस कागजातों के साथ जमा करना होगा;

(छ) शुल्क के आकलन और भुगतान की प्रक्रिया, जिसमें भुगतान किए गए शुल्क का रिफ़ंड भी शामिल है;

(ज) कस्टम्स स्टेशनों पर माल की जांच;

(झ) आयात और निर्यात पर प्रतिबंध;

(ञ) बंध-पत्र भराने की प्रक्रिया और बंध-पत्र सम्बंधित निकासि प्रक्रिया ;

(ट) पुनः आयात तथा निः शुल्क पुनः-प्रवेश की शर्तें;

(ठ) प्रति अदायगी और निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं, जिनमें विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना भी शामिल है;

(ड) इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध;

(ढ) संबद्ध अधिनियमों के प्रावधान, जिनमें केन्द्रीय माल एवं सेवा अधिनियम, 2017 (2017 का 12) और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5, इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट, 1884 (1884 का 4), नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम 1914 (1914 का 2), अनिष्टकारक मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 (1930 का 2), औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14), व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम 1958 (1958 का 43), आयुध अधिनियम 1959 (1959 का 54), पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39), स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22), विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42), डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का नंबर 34) और EXIM व्यापार पर लागू होने वाले अन्य कानून और इन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियम और विनियम शामिल हैं, जहां तक कि वे सीमा शुल्क के माध्यम से माल की निकासी के लिए प्रासंगिक हैं;

(ण) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1998 का 49) के प्रावधान;

(त) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपील की प्रक्रिया और पुनरीक्षण के आवेदन; और

(थ) 'इंडियन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज गेटवे' (आईसीईजीएटीई) एंड 'इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम' (आईसीईएस) के तहत प्रवेश तथा शिपिंग बिलों को ओन- फयलिंग करना ।

(द) सीमा शुल्क अधिनियम और इससे संबन्धित अन्य अधिनियमों के अंतर्गत जारी विनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं आदि की जानकारी

(8) प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि वैयक्तिक आवेदक, या उस मामले में जिसमें आवेदक कोई फर्म या कंपनी है तो उस स्थिति में उसका भागीदार या निदेशक या वह प्राधिकृत व्यक्ति जिसे सीमाशुल्क के कामकाज के लिए लगाया गया हो, अंग्रेजी और कस्टम्स स्टेशन की स्थानीय भाषा का संतोषजनक ज्ञान रखता है:

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसको कि किसी डाक्स में ढेर सारे काम के लिए लगाया गया हो, अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य नहीं है, और हिन्दी के ज्ञान को वांछनीय योग्यता मान लिया जायेगा।

7. लाइसेन्स की स्विक्रिति —(1) ऐसा आवेदक जिसने लिखित और मौखिक दोनों ही परीक्षा पास कर ली है, मौखिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा के दो महीने के भीतर पाँच हजार रूपये के शुल्क का भुगतान करके विनियम 4 के उप-विनियम (2) में संदर्भित प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क को अपने भुगतान का ब्यौरा देगा और उक्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त ऐसे ब्यौरे का सत्यापन कराने के बाद आवेदक को शुल्क के भुगतान की तारीख से एक महीने के भीतर लाइसेन्स जारी कर देगा:

बशर्ते कि जहां सफल आवेदक निर्धारित अवधि के भीतर उक्त शुल्क का भुगतान नहीं कर पाता है वहाँ आवेदक को लाइसेन्स जारी कराने का अधिकार ज़ब्त हो जायेगा.

(2) ऐसे आवेदक को जिसने कि उप-विनियम (1) में संदर्भित शुल्क का भुगतान कर दिया है, प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क निम्न प्रकार से लाइसेन्स जारी करेगा:—

(क) यदि किसी व्यक्ति ने विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा को पास किया है उसे फार्मबी1 में लाइसेन्स दिया जाएगा।

(ख) किसी कंपनी, फर्म या एसोसिएशन को फार्म बी 2 लाइसेन्स तब दिया जाएगा यदि उसके कम से कम एक निदेशक, भागीदार या किसी प्राधिकृत कर्मचारी ने विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा पास कर ली हो:

बशर्ते कि यदि किसी निर्धारित समय में ऐसा निदेशक, भागीदार या प्राधिकृत व्यक्ति इन विनियमों के अंतर्गत ऐसी एक से अधिक फार्म या कंपनी की ओर से ऐसा संव्यवहार नहीं कर सकता है:

बशर्ते यह भी कि जहां कोई कंपनी या फर्म जिसको कि इस विनियम के अंतर्गत लाइसेन्स दिया जा चुका है, अपने निदेशकों, प्रबंध निदेशकों या भागीदारों में कोई परिवर्तन करती है, तो वो लाइसेन्सधारी एक महीने के भीतर प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसे परिवर्तन के बारे में संसूचित करेगा:

बशर्ते यह भी कि जहां कोई फर्म या कंपनी, जिसको कि इस विनियम के अंतर्गत लाइसेन्स दिया गया है, ऐसा कोई परिवर्तन करती है जिससे कि उसका पैन (PAN) बदल जाता है तो ऐसे लाइसेन्सधारी को ऐसे परिवर्तन के साठ दिन के भीतर प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के पास नए लाइसेन्स के लिए आवेदन करना होगा।

(3) ऐसा कोई भी आवेदक जिसको कि उप-विनियम (2) के अंतर्गत लाइसेन्स दिया गया है, सभी कस्टम्स स्टेशनों पर कस्टम्स ब्रोकर के रूप में काम करने का पात्र होता है बशर्ते कि उसे उस प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह अपना काम करना चाहता है, को फार्म ग में इस बात कि सूचना देनी होगी और इस सूचना की एक प्रति उस प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के पास फार्म बी 1 या फार्म बी 2 में संलग्न करके देगा जिसने कि उसको लाइसेन्स जारी किया हो।

(4) कोई भी कस्टम्स ब्रोकर इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी कस्टम स्टेशन पर काम करने का पात्र होगा जिसके लिए उक्त फार्म- सि में सूचना देना अपेक्षित होगा बशर्ते कि ऐसा कस्टम्स ब्रोकर ऐसा संव्यवहार फार्म बी 1 और फार्म बी 2 में जारी किए गए लाइसेन्स की तारीख से दो वर्ष के बाद ही करने का पात्र होगा:

बशर्ते कि उक्त दो वर्ष की अवधि को उस स्थिति में माफ कर दिया जाएगा यदि कस्टम्स ब्रोकर को उक्त लाइसेन्स कस्टम्स हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 1984, कस्टम्स हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2004 या कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया हो:

बशर्ते यह भी कि उप-विनियम (4) में संदर्भित दो वर्ष की अवधि की शर्त वहाँ नहीं लागू होगी जहां विनियम 4 के उप-विनियम (2) में संदर्भित सूचना को प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क को, जैसी भी स्थिति हो, उक्त फार्म-सि में दी गयी हो।

8. बंध-पत्र का निष्पादन और प्रतिभूति जमा करना —(1) विनियम 7 के अंतर्गत लाइसेन्स जारी करने के पहले प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क सफल आवेदक को कस्टम्स ब्रोकर के रूप में अपना कारोबार करने के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के नाम से पांच लाख रुपये की राशि का फार्म- डी में एक बंध-पत्र भरने, इन विनियमों के विधिवत अनुपालन के लिए फार्म-ई में एक सिक्योरिटी बॉन्ड भरने और बैंक गारंटी या पोस्टल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय बचत-पत्र या सावधि जमा रसीद, जिसे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया हो, जमा करने के लिये कहेगा। .

(2) जिन मामलों में पोस्टल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय बचत-पत्र या सावधि जमा रसीद जमा की जाती है, तो वहाँ इन विलेखों पर उद्भूत ब्याज का लाभ संबन्धित कस्टम्स ब्रोकर को मिलेगा।

9. लाइसेन्स की वैधता अवधि—(1) इस विनियम 7 के अंतर्गत जारी किया गया लाइसेन्स इसके जारी होने की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक के लिए वैध रहेगा और उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार इसका समय समय पर नवीनीकरण किया जाएगा:

बशर्ते कि कस्टम्स हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 1984, कस्टम्स हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2004 या कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्युलेशन्स, 2013 के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेन्स के नवीनीकरण की प्रक्रिया और शुल्क क्रमशः उप-विनियम (2) में निर्धारित प्रक्रिया तथा उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट शुल्क के अनुसार ही होगी:

बशर्ते यह भी कि किसी कस्टम्स ब्रोकर, जिसे बोर्ड के परिपत्र सं० 28/2012-सीमाशुल्क, दिनांक 16.11.2012 या 33/2016-सीमाशुल्क, दिनांक 22.7.2016 में संदर्भित प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक कार्यक्रम के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया हो, को उस समय तक अपने लाइसेन्स का नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं है जब तक कि उक्त प्राधिकार की वैधता बनी रहती है।

(2) विनियम 7 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क लाइसेंसधारी के द्वारा दिए गए आवेदन पर, उप-विनियम (1) के अंतर्गत लाइसेन्स की वैधता की समाप्ति के पहले, इसके समाप्त होने की तारीख से अगले दस साल के लिए लाइसेन्स का नवीनीकरण कर सकेगा बशर्ते कि अन्य बातों के अलावा इस विनियम में विनिर्दिष्ट उसके दायित्वों की दृष्टि से लाइसेन्सी का कामकाज संतोषजनक पाया गया हो जिसमें ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर कदाचार का कोई आरोप न लगाए जाने की बात भी शामिल है।

बशर्ते कि जहां कस्टम्स ब्रोकर लाइसेन्स की वैधता के समाप्त होने के पहले इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं दे पाता है तो वहाँ प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के बाद

कि ऐसे विलंब के वाजिब कारण हैं, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर कस्टम्स ब्रोकर के द्वारा नवीनीकरण के शुल्क के अलावा दो हजार रुपये का विलंब शुल्क जमा किए जाने पर लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकेगा।

(3) लाइसेन्स के नवीनीकरण का शुल्क पंद्रह हजार रूपए होगा।

10. **कस्टम्स ब्रोकर्स के दायित्व** — कस्टम्स ब्रोकर —

(क) प्रत्येक कंपनी, फर्म या उस व्यक्ति से प्राधिकार-पत्र प्राप्त करेगा जिसके लिए तत्समय वह कस्टम्स ब्रोकर के रूप में नियुक्त किया गया हो और ऐसे प्राधिकार-पत्र को जब भी उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा मांगा जाए उस समय उसको प्रस्तुत करेगा;

(ख) कस्टम्स स्टेशन में या तो व्यक्तिगत रूप से या ऐसे किसी व्यक्ति के माध्यम से जिसे कि उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हो, अपना कारोबार करेगा;

(ग) किसी भी मामले में ऐसे किसी भी ग्राहक का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा जिसमें कस्टम्स ब्रोकर, को केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड का पूर्व-कर्मचारी रहने के कारण व्यक्तिगत तरजीह दी गई हो अथवा सरकारी सेवा में रहते हुए, उसकी ज्ञान ग्रहण किया हो ;

(घ) अपने ग्राहक को इस अधिनियम, अन्य सहायक अधिनियमों के प्रावधानों, और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन करने की सलाह देगा और अनुपालन न किए जाने की स्थिति में वह उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के ध्यान में इस मामले को लाएगा;

(ङ) इस बात को ध्यान में रखेगा कि वह अपने ग्राहक को कार्गो या बैगेज के क्लियरेंस के बारे में जो भी जानकारी देगा वह सही हो;

(च) कार्गो या बैगेज क्लियरेंस के बारे में सीमाशुल्क प्राधिकारियों के बारे में जारी किए गए किसी भी आदेश, निर्देश या सार्वजनिक सूचना में निहित किसी भी जानकारी को उस ग्राहक से नहीं छिपाएगा जिसके लिए ये जानकारी दी गयी है;

(छ) जब भी किसी शुल्क, कर या अन्य ऋण के भुगतान या सरकार के प्रति किसी दायित्व को पूरा करने के लिए कोई राशि प्राप्त करता है तो वह उसे तत्काल सरकार के खाते में जमा करेगा, और यदि वह सरकार से कोई धन प्राप्त करता है या अपने ग्राहक की ओर से कार्गो या बैगेज से संबन्धित भुगतान से अधिक राशि पाता है तो वह उसके बारे में अपने ग्राहक को तत्काल बताएगा;

(ज) किसी भी प्रकार के सरकारी या अन्य सरकारी स्रोतों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचना की अधिप्राप्ति नहीं करेगा जिसकी सहमति संबंधित कार्यालय द्वारा प्रदान नहीं की गई हो।

(झ) कस्टम्स स्टेशन के किसी भी अधिकारी या उसके अधीनस्थ को उसके पास विचारधीन पड़े किसी भी मामले में धमकी, गलत आरोप, दबाव या अन्य किसी विशेष प्रकार के उत्प्रेरण, या लाभ का आश्वासन या किसी प्रकार का उपहार दे कर या उसका पक्ष लेकर या मूल्यवान वस्तु देकर प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा;

(ञ) कस्टम्स ब्रोकर के रूप में अपने संव्यवहारों से संबन्धित किसी बही खाता, कागजात या अन्य दस्तावेज़, जिसको कि प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा मांगा गया हो या मांगा जा सकता हो, को सुलभ कराने से न तो इंकार करेगा और न ही उसको पूर्णतया या उसके किसी अंश को छिपाएगा, न ही हटाएगा और न ही नष्ट करेगा;

(ट) सभी प्रकार के रिकार्ड्स जैसे कि बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, ट्रांसशिपमेंट एप्लिकेशन आदि सभी प्रकार के पत्रव्यवहार और अन्य कागजात, जो कि कस्टम्स ब्रोकर के रूप में उसके कारोबार से संबंधित हों, को अद्यतन रखेगा और बहीखातों को, जिसमें वित्तीय संव्यवहार भी शामिल है, को उसी प्रकार व्यवस्थित और मदवार रखेगा जैसा कि प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, या आयुक्त, सीमाशुल्क, या उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ठ) यदि उसको दिया गया लाइसेन्स खो जाता है तो वह प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को तत्काल इसकी सूचना देगा;

(ड) कस्टम्स ब्रोकर के रूप में अपने कतव्यों का तेजी से और पूरी क्षमता से निर्वाह करेगा और इसमें कोई विलंब नहीं करेगा;

(ढ) अपने ग्राहक की पहचान के लिए इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड(आईईसी) संख्या, माल एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन), और उसके घोषित पते पर उसके कामकाज का विश्वसनीय, स्वतंत्र और प्रामाणिक कागजातों, आंकड़ों और सूचनाओं के आधार पर सत्यापन करेगा;

(ण) डाक-पता, टेलीफोन नम्बर, ई-मेल आदि में कोई परिवर्तन होता है, तो वह उसके बारे में सभी कस्टम्स स्टेशनों के उप-आयुक्त, सीमाशुल्क, या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, जिसमें उस आयुक्तालय के वे संबन्धित उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त भी आते हैं जिन्होंने लासेन्स जारी किया हो, तत्काल दो दिन के भीतर सूचना देगा;

(त) उन सभी कागजातों और दस्तावेजों को व्यवस्थित रखेगा जिन्हें इस विनियम के अंतर्गत रखना जरूरी हो और वह उन्हें कम से कम पाँच साल तक रखेगा तथा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किए जाने के समय वह उन्हें उपलब्ध कराएगा; और

(थ) सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ सहयोग करेगा और अपने या अपने कर्मचारियों के खिलाफ की जाने वाली किसी भी जांच में तत्काल सहयोग देगा।

11. किसी फर्म या कम्पनी के संविधान में परिवर्तन —(1) यदि किसी फार्म या कम्पनी, जिसको कि इस विनियम के अंतर्गत लाइसेन्स दिया गया हो, के संविधान में कोई परिवर्तन होता है, जिसके कारण, विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा को पास करने वाले व्यक्ति के रोजगार के जारी रखने के वावजूद, विनियम 7 के उप-विनियम (2) के उप-वाक्य (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों की दृष्टि से ऐसे लाइसेन्स को रखना अवैध हो जाता हो तो वह फर्म या कम्पनी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे परिवर्तन के बारे में प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क को अवगत कराएगी और ऐसी फर्म या कम्पनी जो कि ऐसे परिवर्तन कर रही हो, उक्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त को ऐसे परिवर्तन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर विनियम 7 के अंतर्गत नए लाइसेन्स के लिए नया आवेदन करेगी और वह प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क, यदि उस फार्म या कम्पनी, जैसी भी स्थिति हो, के खिलाफ कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है, तो उसको नया लाइसेन्स जारी कर देगा।

(2) फार्म या कम्पनी, जो कि उपर्युक्त उप-विनियम (1) में यथा संदर्भित नए सिरे से आवेदन कर रही हो, पर विनियम 7 के उप-विनियम (2) के उप-वाक्य (ख) में संदर्भित शर्तें यथावत लागू होंगी :

वशर्ते कि यदि लाइसेन्स धारक फर्म या कम्पनी ऐसे परिवर्तन के लिए कोई आवेदन करती है तो ऐसी फर्म या कम्पनी प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन से कस्टम्स ब्रोकर के कार्य को तब तक कर सकती है जब तक कि ऐसी फर्म या कम्पनी के नए आवेदन पर कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता है।

(3) उप-विनियम (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि कोई फर्म या कम्पनी, जहां कि किसी भागीदार या निदेशक या ऐसे प्राधिकृत कर्मचारी, जिसने कि विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा पास की हो, की मृत्यु या सेवानिवृत्त होने के कारण लाइसेन्स लागू नहीं रह गया है, तो ऐसी फर्म या कम्पनी मृत व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे भागीदार, निदेशक या ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम बदलने का आवेदन कर सकती है, जिसने कि विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा को पास किया हो;

वशर्ते कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति फर्म या कम्पनी में नहीं होता है तो ऐसी फर्म या कम्पनी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे किसी अन्य भागीदार, निदेशक, या प्राधिकृत कर्मचारी, जो कि विनियम 13 के उप-विनियम (5) में संदर्भित जी-कार्ड धारक हो, को उक्त व्यक्ति की मृत्यु या सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा को पास करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और फिर ऐसी फर्म या कम्पनी प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन से कस्टम्स ब्रोकर

का तब तक कार्य कर सकेगी जब तक कि ऐसा भागीदार, निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति उक्त परीक्षा पास नहीं कर लेता है।

बशर्ते जहां कि ऐसी फर्म या कम्पनी या एसोसिएशन का जी-कार्ड धारक व्यक्ति विनियम 6 में संदर्भित लिखित परीक्षा में उक्त दो वर्ष के भीतर बैठता है, तो उक्त दो वर्ष की अवधि के समाप्त हो जाने के बावजूद भी, परीक्षा को पास करने की अवधि तब तक मानी जाएगी जब तक कि उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हो जाता है।

12. किसी 'कंसर्न' के संविधान में परिवर्तन —(1) जहां कि कोई व्यक्ति, जिसको कि लाइसेन्स जारी किया गया हो या जिसके पक्ष में ऐसा लाइसेन्स जारी किया गया हो और वह व्यक्ति कोई फर्म या कम्पनी न हो, अपने कंसर्न को किसी फर्म या कम्पनी के रूप में बदल देता है तो ऐसी नई फर्म या कम्पनी, इन विनियमों के अनुसार, जब तक लाइसेन्स जारी नहीं हो जाता है, तब तक वह प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन से ऐसे किसी कर्मचारी के माध्यम से, जो कि विनियम 6 के अनुसार विधिवत योग्य हो, कस्टम्स ब्रोकर के रूप में काम कर सकती है।

(2) इस उप-विनियम (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां इन विनियमों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को या उसके पक्ष में जारी लाइसेन्स उक्त व्यक्ति की मृत्यु के कारण लागू नहीं रह जाता है, तो वहाँ उसका विधिक उत्तराधिकारी, जो कि वयस्क हो और विनियम 13 के उप-विनियम (5) में संदर्भित जी-कार्ड धारक हो, प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन से कस्टम्स ब्रोकर के रूप में काम कर सकता है, और ऐसे विधिक उत्तराधिकारी को वास्तविक लाइसेंसधारी की मृत्यु की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा को पास करना जरूरी होगा:

बशर्ते कि जहां किसी फर्म, कंपनी या एसोसिएशन का कोई जी-कार्ड धारक उक्त दो वर्षों की अवधि के भीतर, विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा में बैठ जाता है वहाँ उक्त दो वर्षों की अवधि के समाप्त होने के बावजूद उक्त परीक्षा पास करने की अवधि तब तक मानी जाएगी जब तक की उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हो जाता है:

बशर्ते और भी कि जहां ऐसा जी-कार्ड धारक विनियम 5 में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता को पूरा नहीं करता है, वहाँ उसे केवल तभी रियायत दी जा सकेगी यदि उस जी-कार्ड धारक के पास वास्तविक लाइसेन्सधारी की मृत्यु की तारीख से कम से कम पाँच वर्ष पहले से जी-कार्ड हो।

13. व्यक्ति को काम के लिए अनुबंधित करना या उसे रोजगार देना —(1) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने कि विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा पास कर ली है इन विनियमों के अंतर्गत किसी फर्म या कंपनी की ओर से कस्टम्स से माल के क्लियरेंस से संबन्धित कार्य को करने के लिए अपने को लगा सकता है।

(2) कस्टम ब्रोकर, जिसको विनियम 7 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत लाइसेन्स जारी किया जा चुका हो, को उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा फार्म-एफ में फोटो पहचान-पत्र जारी किया जायेगा:

बशर्ते कि विनियम 7 के उप-विनियम (2) के उप-वाक्य (ख) के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेन्स के मामले में फार्म-एफ में फोटो पहचान-पत्र उसी व्यक्ति या उन्ही व्यक्तियों को जारी किया जाएगा जिन्होंने विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा को वास्तव में पास किया हो।

(3) कोई भी कस्टम्स ब्रोकर अपने कारोबार की तादात को देखते हुए अपनी मदद के लिए एफ कार्ड धारक से भी भिन्न किसी व्यक्ति को विश्वसनीय, स्वतंत्र व प्रामाणिक दस्तावेजों, आंकड़ों और सूचनाओं का प्रयोग करते हुये उसके पूर्ववृत्त और घोषित पते पर उसकी पहचान का सत्यापन करने के बाद अपने काम में लगा सकता है:

बशर्ते कि इस प्रकार काम में लगाए गए व्यक्ति के पास उसको जारी किया गया आधार नंबर हो और इस प्रकार काम पर लगाए गए व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10+2 या समकक्ष होनी चाहिए।

(4) उप-विनियम (3) में संदर्भित किसी व्यक्ति की नियुक्ति उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही की जा सकती है जोकि अपना अनुमोदन देते समय ऐसे व्यक्ति के पूर्ववृत्त और उसके चरित्र से संबन्धित अन्य सूचनाओं पर भी विचार करेगा।

(5) उप-विनियम (3) में संदर्भित व्यक्ति उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा को अपनी नियुक्ति की तारीख से अधिकतम चार प्रयासों में पास करना होगा और यह परीक्षा इस प्रकार की होगी जिससे कि ऐसे व्यक्ति की उस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में पर्याप्त जानकारी का पता चल सके जिसके तहत कस्टम्स से सामानों और बेगगेज को क्लियर किया जाता हो और परीक्षा पास करने के बाद व्यक्ति को उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा फार्म-जी में फोटो पहचान-पत्र जारी किया जायेगा।

(6) उप-विनियम (5) में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसा जी-कार्ड धारक जिसे कस्टम्स ब्रोकर द्वारा काम पर लगाया गया हो, उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क के अनुमोदन से या उसके

द्वारा आपत्ति न किए जाने पर, किसी अन्य कस्टम्स ब्रोकर के अंतर्गत काम पर लगाया जाता है, तो उसे ऐसी परीक्षा को पास करने से छूट प्राप्त होगी।

(7) कोई भी कस्टम्स ब्रोकर केवल किसी ऐसे कर्मचारी को ही 'बिल ऑफ एंट्री' शिपिंग बिल्स, उससे जुड़े अनुबंध, और अन्य कागजातों, जो कि इस अधिनियम की प्रक्रियाओं या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में तैयार किए गए हों, पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जिसको कि फार्म-एफ या फार्म-जी, जैसी भी स्थिति हो, में फोटो पहचान पत्र जारी किया गया हो।

(8) जहां कि किसी कस्टम्स ब्रोकर ने उप-विनियम (7) के अनुसार अपनी ओर से अपने कारोबार से संबंधी कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने लगाए गए व्यक्ति को प्राधिकृत किया है तो वह प्रत्येक कस्टम्स स्टेशन के उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को लिखित प्राधिकार-पत्र देगा और यदि इस प्राधिकार पत्र में कोई संशोधन होता है या उसको वापस लिया जाता है तो वह उसकी तत्काल लिखित सूचना देगा।

(9) उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, फार्म-एच में कस्टम्स ब्रोकर के द्वारा लगाए गए प्रत्येक व्यक्ति को फोटो-पहचान पत्र जारी करेगा, यदि उन्होंने उप-विनियम (4) में संदर्भित परीक्षा पांच साल में भी पास न की हो:

बशर्ते की ऐसे व्यक्ति की शैक्षणिक अर्हता कम से कम 10+2 हो।

(10) ऐसा कोई व्यक्ति जिसको इस विनियम के अंतर्गत फोटो-पहचान पत्र जारी किया गया हो, कस्टम स्टेशन पर काम करने के समय उसे हमेशा अपने पास रखेगा और कस्टम्स स्टेशन के किसी भी अधिकारी के द्वारा जांच हेतु मांगे जाने पर उस प्रस्तुत करेगा।

(11) यदि ऐसे व्यक्तियों में, जिनको कि एफ-कार्ड या जी-कार्ड या एच-कार्ड जारी किया गया हो और जिनको लाइसेन्स प्राप्त फर्म या कंपनी की ओर से काम करने के लिए वास्तव में लगाया गया हो, कोई परिवर्तन होता है, तो उक्त फर्म या कंपनी, जैसी भी स्थिति हो, उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क को इसकी जानकारी देगी और ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिनके पास एफ, जी या एच कार्ड न हो, को उक्त फर्म या कंपनी के विधिवत कर्मचारी के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होगी।

(12) कस्टम्स ब्रोकर इस प्रकार की निगरानी रखेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उसके कर्मचारी उसका कार्य सही ढंग से करते हैं, और उनके रोजगार के दौरान उनके किसी भी कार्य या चूक के लिए वह कस्टम्स ब्रोकर ही जिम्मेदार होगा। .

14. लाइसेन्स का वापस लिया जाना या दण्ड का लगाया जाना— विनियम 17 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क निम्न में से किसी भी आधार पर किसी कस्टम्स ब्रोकर के लाइसेन्स को वापस ले सकता है और उसकी सम्पूर्ण प्रत्याभूति को या उसके किसी भाग को जब्त कर सकता है, यथा :—

- (क) विनियम 8 के अंतर्गत उसके द्वारा निष्पादित बंध-पत्र की किसी शर्त का पूरा न हो पाना;
- (ख) अपने कार्य क्षेत्र में या अन्य कहीं भी इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों का पूरा न हो पाना;
- (ग) अपने कार्य क्षेत्र में या अन्य कहीं भी ऐसा कदाचार करना, जोकि प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क की राय में कस्टम्स स्टेशन के किसी कार्य के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होता हो;
- (घ) उसे दीवालिया निर्णीत कर दिया गया हो;
- (ङ) वह मंद बुद्धि का हो; और
- (च) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसे अपराध का दोषी करार दिया गया हो जिसमें नैतिक भ्रष्टता या अन्य कोई बात शामिल हो।

15. निषेध— इन विनियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद प्रधान आयुक्त या आयुक्त, उनसे भिन्न जो विनियम 7 में संदर्भित हैं, किसी कस्टम्स ब्रोकर को उस समय किसी कस्टम स्टेशन के एक या एक से अधिक हिस्से में काम करने से मना कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे कस्टम्स ब्रोकर ने विनियम 10 में निर्धारित अपने दायित्वों का, जो कि उस हिस्से से संबन्धित हों, का निर्वाह नहीं किया है:

बशर्ते कि वह अवधि जिसके लिए किसी कस्टम्स ब्रोकर को एक या एक से अधिक किसी कस्टम्स स्टेशन में काम करने से मना कर दिया गया है, ऐसे निषेध की तारीख से एक माह से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते और भी कि किसी कस्टम्स ब्रोकर का लाइसेन्स इस प्रकार के निषेध के कारण आस्थगित हो जाता है तो विनियम 16 में निर्दिष्ट अवधि की गणना ऐसे आस्थगन की तारीख से की जाएगी।

16. लाइसेंस का आस्थगन — (1) विनियम 14 में निहित किसी भी बात के बावजूद प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क ऐसे उपयुक्त मामलों में जिसमें कि तत्काल कारवाही करने कि जरूरत हो, किसी कस्टम्स ब्रोकर के लाइसेन्स का उस समय आस्थगित कर सकता है, जहां ऐसे कस्टम्स ब्रोकर के खिलाफ कोई जांच चल रही हो या चलाये जाने का विचार हो:

बशर्ते कि जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क उचित समझे, अपने कारणों को लिखित में दर्ज कराते हुये किसी भी निर्दिष्ट संख्या में कस्टम्स स्टेशनों के लिए लाइसेन्स को आस्थगित कर सकता है।

(2) जहां कि उप-विनियम (1) के अंतर्गत किसी लाइसेन्स को आस्थगित किया जाता है, वहाँ प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे आस्थगन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उस कस्टम्स ब्रोकर को, जिसके लाइसेन्स का आस्थगन हो गया है, सुनवाई का मौका देगा और कस्टम्स ब्रोकर को दी गई सुनवाई की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर लाइसेन्स के स्थगन को वापस लिए जाने या स्थगन को जारी रखने का, जैसा वह उचित समझे, आदेश देगा:

बशर्ते कि यदि प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, आस्थगन को जारी रखने का आदेश देता है तो इसके आगे की प्रक्रिया वह होगी जो कि विनियम 17 में दी गयी है।

17. लाइसेन्स को वापस लेने या दण्ड लगाए जाने की प्रक्रिया — (1) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क अपराध से संबन्धित रिपोर्ट के प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर संबन्धित कस्टम्स ब्रोकर को लिखित में नोटिस जारी करेगा जिसमे उस आधार को बताया गया होगा जिस आधार पर उक्त कस्टम्स ब्रोकर के लाइसेंस को वापस लिए जाने या उस पर दण्ड लगाए जाने का प्रस्ताव है और उससे कहा जाएगा कि वह नब्बे दिन के भीतर अपने द्वारा नामित उप- आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क को अपने बचाव में लिखित बयान दे और वह उक्त बयान में यह स्पष्ट करे कि क्या वह उक्त उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क के यहाँ अपनी व्यक्तिगत सुनवाई की इच्छा रखता है या नहीं।

(2) आयुक्त, सीमाशुल्क कस्टम्स ब्रोकर से लिखित बयान प्राप्त करने के पश्चात या जहां कि उप-विनियम (1) में संदर्भित नोटिस में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किसी बयान के न प्राप्त होने पर उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को निर्देश दे सकता है कि वे उन आधारों के बारे में जांच करें जो कि उक्त कस्टम्स ब्रोकर को स्वीकार्य नहीं हैं।

(3) उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क जैसी भी स्थिति हो, जांच कार्य के दौरान ऐसे दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करेगा और ऐसे मौखिक साक्ष्यों को भी ध्यान में रखेगा जो कि उन आधारों से संबन्धित जांच में प्रासंगिक या सारवान होंगे जिन पर यह कार्यवाही चल रही हो और वह सही स्थिति का पता लगाने के लिए कस्टम्स ब्रोकर के पक्ष में या उसके खिलाफ साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है।

(4) कस्टम्स ब्रोकर को यह अधिकार होगा कि वह कार्यवाही के आधार के समर्थन में पूछे जाने वाले व्यक्तियों से प्रति-प्रश्न कर सकता है और जहां उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो,

इस आधार पर कि उसका आधार प्रासंगिक या सारवान नहीं है, किसी व्यक्ति से प्रति-प्रश्न किये जाने की अनुमति नहीं देता है वहाँ वह ऐसा करने के कारण को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

(5) जांच के पूरा हो जाने पर उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसमें अपने निष्कर्षों को लिखने के बाद उप-विनियम (1) में जारी किए गए नोटिस की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उक्त रिपोर्ट को सौंप देगा।

(6) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क कस्टम्स ब्रोकर को उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, की उक्त रिपोर्ट को उपलब्ध कराएगा और उक्त कस्टम्स ब्रोकर को कहेगा कि वह विनिर्दिष्ट अवधि, जो कि तीस दिन से कम नहीं होगी, के भीतर उक्त रिपोर्ट के खिलाफ कोई अभ्यावेदन देना चाहे तो दे सकता है।

(7) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क जांच रिपोर्ट और उस पर आए कस्टम्स ब्रोकर के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद उप-विनियम (5) के अंतर्गत उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा रिपोर्ट के सौंपे जाने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर लाइसेन्स को वापस लेने या उसके स्थगन को जारी रखने, जैसा वह उचित समझे, का आदेश जारी करेगा:

बशर्ते कि लाइसेन्स को वापस लेने का कोई भी आदेश तब तक जारी नहीं किया जा सकेगा जब तक कि प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा कस्टम्स ब्रोकर को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका नहीं दे दिया जाता है।

(8) जहां कि इन विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही में प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त एफ कार्ड धारक विनियम 14 में विनिर्दिष्ट आधार पर दोषी है और उक्त विनियम की दृष्टि से अयोग्य हो गया है तो उक्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क जैसा कि विनियम 18 में प्रावधान है, उस पर दंड लगाए जाने का आदेश दे सकता है:

बशर्ते कि जहां कोई भी ऐसा आदेश किसी एफ कार्ड धारक के खिलाफ जारी किया गया हो, वहाँ उसे फार्म एफ में जारी किए गए अपने पहचान पत्र को उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क के पास लौटा देना होगा।

(9) जहां कि अपराध संबंधी कोई रिपोर्ट, आरोप कस्टम्स ब्रोकर, जिसको कि विनियम 7 के अंतर्गत लाइसेन्स जारी किया गया हो, के अतिरिक्त किसी एफ कार्ड धारक के खिलाफ लगाया गया हो, वहाँ विनियम 16 और 17

में निर्धारित प्रक्रिया का, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, वहाँ तक अनुपालन किया जाएगा जहाँ तक वह प्रक्रिया एफ कार्ड धारक के मामले में प्रासंगिक है:

बशर्ते कि जहाँ इन विनियमों के अंतर्गत केवल किसी जी कार्ड धारक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर विचार किया जा रहा हो वहाँ उप-विनियम (8) में संदर्भित प्राधिकारी के स्थान पर उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त के स्तर का अधिकारी उक्त विनियम में उल्लिखित ऐसा आदेश जारी करेगा और साथ ही साथ ऐसे जी कार्ड धारक को ऐसे आदेश से छ माह की अवधि तक इन विनियमों के अंतर्गत काम करने से निषिद्ध कर सकता है।

बशर्ते और भी कि जहाँ कोई भी ऐसा आदेश किसी जी कार्ड धारक के खिलाफ जारी किया गया हो, वहाँ उसे फार्म जी में जारी किए गए अपने पहचान पत्र को उप-आयुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क के पास लौटा देना होगा।

स्पष्टीकरण— इस विनियम की दृष्टि से अपराध रिपोर्ट से अभिप्राय इन विनियमों के अंतर्गत किसी कस्टम्स ब्रोकर या एफ कार्ड धारक या जी कार्ड धारक, जैसी भी स्थिति हो, के कार्य या लोप से संबन्धित सरसरी जांच और प्रथम दृष्टया उन पर लगाए गए उन आरोपों से है, जिनके कारण उनको इन विनियमों के अंतर्गत कार्य करने से अयोग्य घोषित किया गया हो।

18. दण्ड— (1) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क उस कस्टम्स ब्रोकर या एफ कार्ड धारक पर, जो कि इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर पाता है, पचास हजार रुपये से अधिक का दण्ड लगा नहीं सकता है।

(2) उप-आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क ऐसे जी कार्ड धारक पर, जिसने कि कस्टम्स ब्रोकर के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही के बारे में इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया हो, दस हजार रुपये से अधिक का दंड नहीं लगा सकता है।

(3) इन विनियमों के अंतर्गत लगाया गया कोई भी दण्ड या की जाने वाली कोई भी कार्रवाई का उस कार्रवाई से कोई मतलब नहीं होगा जो ऐसे कस्टम्स ब्रोकर या एफ कार्ड धारक या जी कार्ड धारक के खिलाफ सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) या तत्समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत की जा रही हो।

19. अपील— कोई भी कस्टम्स ब्रोकर या एफ कार्ड धारक, जिसे विनियम 16 या विनियम 17 के अंतर्गत प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा जारी किए गए किसी आदेश से शिकायत है तो वह इस अधिनियम की धारा 129 क के अंतर्गत सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर

अपीलीय प्राधिकरण, जिसकी स्थापना उक्त अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (1) के अंतर्गत की गई है, में अपील कर सकता है:

बशर्ते कि ऐसा कोई भी जी कार्ड धारक, जिसे इन विनियमों के अंतर्गत उप- आयुक्त या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क के द्वारा पारित किए गए आदेश से शिकायत है तो वह इस अधिनियम की धारा 128 के अंतर्गत उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के ऐसे आदेश के खिलाफ आयुक्त, सीमाशुल्क (अपील) के यहाँ अपील कर सकता है, जो ऐसी अपील के दायर किए जाने से दो महीने के भीतर अपील का तेजी से निर्णय करेगा।

20. एशोसिएशन की सदस्यता — (1) प्रत्येक कस्टम्स ब्रोकर को ऐसे किसी कस्टम्स ब्रोकर एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी जो पेरेंट कस्टम्स जोन के तहत कस्टम्स स्टेशन में पंजीकृत हो और प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा मान्यताप्राप्त हो।

(2) कोई भी कस्टम्स ब्रोकर एक समय में एक से अधिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं हो सकता है।

(3) प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, किसी भी कस्टम्स स्टेशन पर एक से अधिक कस्टम्स ब्रोकर एसोसिएशन को मान्यता प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे प्रत्येक एसोसिएशन के सदस्यों की न्यूनतम संख्या फार्म बी 1 या फार्म बी 2 में जारी किए गए कुल लाइसेंसों की कुल संख्या या फार्म ग में दी गयी सूचना के तीस प्रतिशत से कम न हो।

फॉर्म - क
[देखें विनियम 4 का उप-विनियम (2)]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 146 के तहत कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन प्रपत्र

1.	आवेदक का नाम:-
2.	आवेदक का पूरा पता:-
3.	आधार संख्या:-
4.	आवेदक के एक फर्म या कंपनी होने की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, फर्म के भागीदारों या कंपनी के निदेशकों में प्रत्येक का नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन) और पता:-
5.	आवेदक के एक फर्म या कंपनी होने की स्थिति में, इसके भागीदार/भागीदारों या निदेशक/निदेशकों, जो वास्तव में सीमा शुल्क ब्रोकर के रूप में कार्य करेंगे, का नाम और स्थायी खाता संख्या (पैन):-
6.	ऐसे व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता, जो वस्तुतः कस्टम ब्रोकर के रूप में कार्य करेंगे:-
7	कस्टम हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 1984 के विनियम 9 या कस्टम हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 2004 के विनियम 8 या कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2013 के विनियम 6 या कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2013 के विनियम 6 में संदर्भित परीक्षा में आवेदक द्वारा किए गए प्रयासों की कुल संख्या:-
	घोषणा:
(क)	मुझे अंग्रेजी/स्थानीय भाषा(.....)/हिंदी का ज्ञान है।
(ख)	मैंने कस्टम ब्रोकर के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस के लिए पहले आवेदन नहीं किया है और न ही ऐसा कोई आवेदन अस्वीकार/स्वीकार किया गया है।
(ग)	फर्म या कंपनी, जिनके द्वारा अधोहस्ताक्षरी नियुक्त किया गया है, के पास पहले कस्टम हाउस लाइसेंसिंग विनियम, 1984, कस्टम हाउस लाइसेंसिंग विनियम, 2004 या कस्टम हाउस

	लाइसेंसिंग विनियमन, 2018 या इनके विनियमों के तहत कस्टम हाउस एजेंट या कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंस है और इसे रद्द या निलंबित किया गया था/रद्द या निलंबित नहीं किया गया था।
(घ)	अधोहस्ताक्षरी/मेरे द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्ति को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, (1944 का 1) तथा वित्त अधिनियम, 1994 के किसी भी प्रावधान के तहत दंडित, दोषी नहीं ठहराया गया है या मुकदमा चलाया नहीं गया है।

कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन, 2018 के विनियम 6 के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची:

क्र. सं.	शैक्षणिक	वित्तीय
1.		
2.		
3.		
4.		

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन, 2018 को पढ़ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

तिथि:

आवेदक के हस्ताक्षर

फॉर्म - बी 1

[विनियमन 7 (2) (क) देखें]

कस्टम ब्रोकर (एल-आई) के लिए लाइसेंस

लाइसेंस सं.

..... तक वैध है

श्री/श्रीमती पता को एतद्वारा
इस लाइसेंस में

दी गई सभी शर्तों के अधीन पूरे भारत में सीमा शुल्क ब्रोकर के रूप में व्यापार करने के लिए अधिकृत किया
जाता है।

सीमा शुल्क ब्रोकर का नमूना हस्ताक्षर:

जारी करने वाला सीमा शुल्क स्टेशन:

सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर(मुहर सहित)

जारी करने की तारीख :

लाइसेंस की शर्तें

यह लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया गया है:

(क) लाइसेंसधारी, -

1. किसी अन्य व्यक्ति को न लाइसेंस बेचेगा अथवा न उसका हस्तांतरण करेगा।

2. प्रत्येक कंपनी, फर्म या व्यक्तियों से अधिकार पत्र प्राप्त करेगा, जिनके द्वारा वह तत्समय के लिए सीमा शुल्क ब्रोकर के रूप में कार्यरत है और जब भी उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा मांगा जाए, उस अधिकार पत्र को दिखाएगा।

3. सीमा शुल्क स्टेशन में या तो व्यक्तिगत रूप से या उपायुक्त या सहायक सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित, सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा नामित कर्मचारी के माध्यम से व्यापार करेगा।

4. लाइसेंस खो जाने की स्थिति में, तुरंत ही सीमा शुल्क आयुक्त को रिपोर्ट करेगा।

5. यह सुनिश्चित करेगा कि वह कस्टम्स ब्रोकर के रूप में अपने कर्तव्य का बहुत तेजी से और दक्षता के साथ और बिना किसी विलंब के निर्वहन करता है।

6. सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियमन, 2018 के विनियम 10 में विनिर्दिष्ट दायित्वों का अनुपालन करेगा।

(ख) यह लाइसेंस जारी होने की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियमन, 2018 लाइसेंसिंग के विनियम 9 के उप-विनियम (2) में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर नवीकृत किया जाएगा।

फॉर्म- बी 2

[विनियमन 7 (2) (ख) देखें]

कस्टम ब्रोकर (एल-ओ) के लिए लाइसेंस

लाइसेंस नं.....
.....तक वैध है

मैसर्स/श्री/सुश्री पता को
एतद्वारा इस लाइसेंस में दी गई सभी शर्तों के अधीन पूरे भारत में सीमा शुल्क ब्रोकर के रूप में व्यापार करने
के लिए अधिकृत किया जाता है। इसके अलावा, फर्म या कंपनी होने की स्थिति में, कस्टम ब्रोकर का कार्य
निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक के माध्यम से किया जाएगा: -

व्यक्ति (यों) का नाम	नमूना हस्ताक्षर
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

जारी किए जाने वाला सीमा शुल्क स्टेशन:

प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

जारी करने की तारीख :

लाइसेंस की शर्तें

यह लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया गया है:

(क) लाइसेंसधारी, -

1. किसी अन्य व्यक्ति को न लाइसेंस बेचेगा अथवा न उसका हस्तांतरण करेगा।
2. प्रत्येक कंपनी, फर्म या व्यक्तियों से अधिकार पत्र प्राप्त करेगा, जिनके द्वारा वह तत्समय के लिए सीमा शुल्क ब्रोकर के रूप में कार्यरत है और जब भी उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा मांगा जाए, उस अधिकार पत्र को दिखाएगा।
3. सीमा शुल्क स्टेशन में या तो व्यक्तिगत रूप से या उपायुक्त या सहायक सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित, सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा नामित कर्मचारी के माध्यम से व्यापार करेगा।
4. लाइसेंस खो जाने की स्थिति में, तुरंत ही सीमा शुल्क आयुक्त को रिपोर्ट करेगा।
5. यह सुनिश्चित करेगा कि वह कस्टम्स ब्रोकर के रूप में अपने कर्तव्य का बहुत तेजी से और दक्षता के साथ और बिना किसी विलंब के निर्वहन करता है।
6. सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियमन, 2018 के विनियम 10 में विनिर्दिष्ट दायित्वों का अनुपालन करेगा।

(ख) यह लाइसेंस जारी होने की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियमन, 2018 लाइसेंसिंग के विनियम 9 के उप-विनियम (2) में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर नवीकृत किया जाएगा।

फॉर्म - सी
[विनियम 7 के उप-विनियम (3) देखें]

किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन पर काम करने के लिए कस्टम ब्रोकर द्वारा दी गई सूचना

1.	सीमा शुल्क ब्रोकर का नाम: -
2.	आधार संख्या:-
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):-
4.	सीमा शुल्क ब्रोकर का पूरा पता:-
5.	सीमा शुल्क ब्रोकर का लाइसेंस नंबर और जारी करने वाला कस्टम हाउस:-
6.	आवेदक के एक फर्म या कंपनी होने की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, फर्म के भागीदारों या कंपनी के निदेशकों में प्रत्येक का नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन) और पता:-
7.	आवेदक के एक फर्म या कंपनी होने की स्थिति में, इसके भागीदार/भागीदारों या निदेशक/निदेशकों, जो वास्तव में सीमा शुल्क ब्रोकर के रूप में कार्य करेंगे, का नाम और स्थायी खाता संख्या (पैन):-
8.	प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, जो वास्तव में कस्टम ब्रोकर के रूप में कार्य करेंगे:-

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन, 2018 को पढ़ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

.....
.....

तारीख:

फॉर्म- डी

[विनियम 8 देखें]

20..... का बॉन्ड नं.

सर्वजन को सूचित किया जाता है कि हम भारत के राष्ट्रपति से रूपये की भुगतान राशि के लिए पूर्णतः समर्पित तथा बाध्य हैं जिससे हम अपने आप को तथा हममें से प्रत्येक तथा हमारा प्रत्येक उत्तराधिकारी, कार्य निष्पादक तथा प्रशासक इस दो हजार..... के वर्ष में.....तारीख को बाध्य हैं।

जबकि उपर्युक्त..... को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 के तहत कस्टम ब्रोकर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा उपर्युक्त.....कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियम, 2018 (इसके पश्चात उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) द्वारा अपेक्षित अनुसार इस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हैं।

तथा जबकि उपर्युक्त..... ने भारत के राष्ट्रपति के साथ उक्त विनियम के संबंध में अपने तथा कर्मचारियों की वफादारी हेतु सुरक्षा राशि के रूप में 5,00,000/- (पांच लाख रूपये केवल) की राशि जमा करा दी है।

उपर्युक्त लिखित बॉन्ड की शर्त इस प्रकार है कि यदि उपर्युक्त..... तथा उसके कर्मचारी उपर्युक्त लाइसेंसधारी होते हुए सदैव उपर्युक्त विनियम के संबंध में वफादारी पूर्ण व्यवहार करते हैं तथा यदि उपर्युक्त.....तथा उसके निष्पादक या प्रशासक गलत आचरण अथवा लापरवाही के कारण भारत सरकार को देय राशि, सदैव भारत के राष्ट्रपति को, प्रत्येक देय राशि उपर्युक्त.....अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भुगतान नहीं करते हैं तो यह लिखित बांड रद्द हो जाएगा; अन्यथा यह पूर्ण प्रभाव से प्रवृत्त रहेगा तथा एतद्वारा यह सहमति की जाती है और उद्घोषित किया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के लिए सदभावमें जमा उपर्युक्त 5,00,000/-रुपये (पांच लाख रूपए केवल) की राशि को उपर्युक्त.....या उसके उपरोक्त कर्मचारियों के गलत आचरण अथवा लापरवाही के कारण भारत के राष्ट्रपति को तथा सरकार को देय धनराशि को प्रतिपूर्ति हेतु उपर्युक्त समग्र तथा प्रत्येक राशि का आहरण कर सकते हैं।

एतद्वारा यह सहमति की जाती है कि 5,00,000/- (पांच लाख रूपये केवल) की उपर्युक्त राशि उपर्युक्ततारीख के बाद बारह कैलेंडर वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति के पास रहेगी जिसके बाद उपर्युक्त..... किसी गलत आचरण या लापरवाही के कारण सरकार को अथवा उसके कर्मचारियों की सीमा शुल्क ब्रोकर राशि के रूप में देय राशि की प्राप्ति नहीं होगी तथा यह बांड बारह माह की उपर्युक्त

अवधि की समाप्ति तक पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहेगा। यह भी सहमति और उद्घोषित किया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति उपर्युक्त द्वारा जमा कराई गई 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रूपए) की राशि का उपर्युक्त द्वारा किसी भी लेन-देन के संबंध में किसी शुल्क या अन्य प्रभार के संग्रहण पूर्णत अथवा आंशिक रूप से कमी को आयात कर्ताओं तथा निर्यात कर्ताओं की ओर से प्रतिपूर्ति हेतु प्रयोग की जाएगी यदि ऐसी राशि का भुगतान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28 के तहत जारी मांग के बाद भी नहीं किया जाता है।

वर्ष.....20.....की.....तारीख को उपर्युक्त के नामों में निम्न गवाहों की मौजूदगी में हस्ताक्षर, मुहर तथा प्रेषित।

- 1.....
2.

भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा के लिए स्वीकृत

प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

दिनांक:

फॉर्म- ई

[विनियमन 8 देखें]

20.....की प्रतिभू बंधपत्र संख्या.....

20.....का.....संख्यांक इन विलेखों द्वारा यह सभी को ज्ञात हो कि हम (क)..... और(ख)..... भारत के राष्ट्रपति के प्रति 5,00,000/-रूपए (पांच लाख रूपये) का संदाय करने के लिए वचनबद्ध और आबद्ध हैं जिसका संदाय करने के लिए हम और हम में से प्रत्येक स्वयं को, अपने को, अपने-अपने वारिस, निष्पादक और प्रशासक को आज तारीख.....से आबद्ध करते हैं।

जबकि उक्त.....(क)..... को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 के अधीन उक्त कस्टम ब्रोकर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और उक्त(ख).....ने उक्त धारा के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित इस बंधपत्र को निष्पादित करने के लिए करार किया है।

अब उक्त लिखित बंधपत्र की यह शर्त है कि यदि उक्त.....(क)..... दोनों सभी समयों पर जबकि कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2018 और अधिकारियों का जहां तक संबंध है एक ईमानदार और अविकृत ढंग में स्वयं व्यवहार करते हुए यथोक्त ऐसे प्राधिकार को धारण किए हुए और उक्त(क) और(ख)..... उनके निष्पादक या प्रशासक उनमें से कुछ या एक भारत के राष्ट्रपति को ऐसी सभी और प्रत्येक धनराशि का जो सरकार को देय होने पर, उक्त.....(क)..... के अपकरण या उसकी उपेक्षा के कारण भारत के राष्ट्रपति को संदत्त नहीं की गई है, हर समय प्रतिपूर्ति करें तो उक्त लिखित बंधपत्र शून्य हो जाएगा; अन्यथा यह बंधपत्र पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगा।

उक्त नामित व्यक्तियों द्वारा गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित, मुहरांकित और सुपुर्द किया गया ।

1

2

आज तारीख20.....मेरे समक्ष निष्पादित किया गया।

प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

फॉर्म-एफ
[विनियम 13 के उप-नियम (2) देखें]
पहचान पत्र

सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंस नंबर

मेसर्स/श्री/सुश्री:

पहचान कार्ड

पदनाम (मालिकाना, भागीदार, निदेशक, कर्मचारी):

स्थायी खाता संख्या (पैन):

आधार संख्या:

कहां जारी किया गया:

कब तक वैध है:

कस्टम ब्रोकर का नाम:

कस्टम ब्रोकर का प्रकार

(स्वामित्व/फर्म/प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड/अन्य)

फोटो जिस पर उप/
सहायक सीमा शुल्क
आयुक्त के हस्ताक्षर
और मुहर लगी हो

सीमा शुल्क ब्रोकर का नमूना हस्ताक्षर:

मैंने सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2018 के विनियम 6 के तहत
आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की है।

उप/सहायक सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर(मुहर सहित)

(कस्टम ब्रोकर द्वारा दी जाने वाली फोटो)

फॉर्म- जी
[विनियम 13 के उप-विनियम (5) देखें]

.....तक के लिए वैध

पहचान-पत्र

फोटो जिस पर
उप/सहायक सीमा
शुल्क आयुक्त के
हस्ताक्षर तथा मुहर
लगी हो

..... के श्री/सुश्री को के श्री/सर्वश्री/सुश्री/मैसर्स
..... के अधिकृत कर्मचारी के रूप में इस कार्यालय की बहियों में पंजीकृत किया
गया है, जिसे उसे/उनके द्वारा उसकी/उनकी ओर से सीमा शुल्क स्टेशन पर व्यापार करने के
लिए अधिकृत किया गया है, को एतद्वारा दिनांक..... से वर्षों की अवधि के
लिए या उसके प्रधान को जारी किए गए लाइसेंस को रद्द किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, व्यापार
करने की अनुमति दी जाती है।

उसने कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन 2018 के विनियम 13 के उप-विनियम (5) के तहत आयोजित
परीक्षा पास कर ली है।

कर्मचारी के नमूना हस्ताक्षर:

कर्मचारी का स्थायी खाता संख्या (पैन):

कस्टम ब्रोकर का नाम:

कस्टम ब्रोकर की लाइसेंस संख्या:

कस्टम स्टेशन:

दिनांक 20.....

उप/सहायक सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर(मुहर सहित)

(कस्टम ब्रोकर द्वारा दी जाने वाली फोटो)

फॉर्म - एच

[विनियमन का उप-विनियमन (9) देखें]

.....तक के लिए वैध

पहचान-सह-प्राधिकार पत्र

..... के श्री/सुश्री को कस्टम ब्रोकर या उसके अधिकृत कर्मचारी (कर्मचारियों) की सहायता के लिए श्री/सर्वश्री/सुश्री/मैसर्स(कस्टम ब्रोकर लाइसेंस नं.) के अधिकृत कर्मचारी के रूप में इस कार्यालय की पुस्तकों में पंजीकृत किया गया है।

यह पहचान पत्र लाइसेंस जारी करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या उसके प्रमुख को जारी किए गए लाइसेंस को रद्द किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए वैध है।

कर्मचारी का नमूना हस्ताक्षर:

सीमा शुल्क ब्रोकर का नाम:

कस्टम स्टेशन:

दिनांक 20

उप/सहायक सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर(मुहर सहित)

(कस्टम ब्रोकर द्वारा दी जाने वाली फोटो)